

संख्या- 01/2019 /2019 /68-5-2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु उसे गोद लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-112/ 68-2-2019-200(48)/2018 दिनांक 05.02.2019 द्वारा प्रदेश में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लोकोपकार योगदान हेतु इच्छुक संगठन/संस्थाओं के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। शासनादेश में संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने वाले दोनों कार्यक्षेत्र यथा-कन्सल्टेन्सी/सेवायें/ज्ञान सम्बन्धी योगदान/प्रशिक्षण आदि एवं अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है। सहयोग के लिये इच्छुक संस्था/संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति पर कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। संस्था की अर्हता एवं योग्यता के सम्बन्ध में भी दिशा-निर्देश इंगित किये गये हैं।

3- शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अनेक ट्रस्ट, संस्था, व्यक्ति और मा० जनप्रतिनिधिगण द्वारा विद्यालय के विकास/जीर्णोद्धार/अवस्थापना सुविधाओं के विकास इत्यादि के लिये विद्यालयों को मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु उन्हें गोद लिये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा प्रकरण में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु ट्रस्ट, संस्था, व्यक्ति और मा० जनप्रतिनिधिगण द्वारा गोद लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) विद्यालय के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अर्थात् विद्यालय का नाम यथावत रहेगा।

(2) विद्यालय के जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय के कक्षां कक्ष की नाप निर्धारित मानक के अनुरूप होगी। विद्यालय का जीर्णोद्धार जिनकी स्मृति में कराया जा रहा है, उनके नाम का उल्लेख अलग शिला पट्टिका पर कक्षा-कक्षों के बाहर एवं विद्यालय परिसर के अन्दर किया जा सकेगा। जिसमें विद्यालय में निर्मित कराये गये नवीन कक्ष का नाम स्मृति शेष प्रियजन के नाम पर “सौजन्य से“ करते हुये रखा जा

सकता है जैसे किसी ने कक्षा-कक्ष या लाइब्रेरी का निर्माण कराया तो शिला पट्ट पर सौजन्य से..... का नाम अंकित किया जायेगा। विद्यालय के नाम में कदापि परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(3) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय की परिसम्पत्तियों का स्वामित्व पूर्णतः शिक्षा विभाग का पूर्ववत् बना रहेगा।

(4) जीर्णोद्धार के उपरान्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पदस्थापित अध्यापक/शिक्षा मित्र कार्यरत रहेंगे। इनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण, पुदस्थापन, पदोन्नति एवं अन्य सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्व की भाँति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेंगे।

(5) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय में विभाग द्वारा अनुमन्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जायेगा तथा विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों को शासन/विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही संचालित किये जाने में किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

(6) जीर्णोद्धार के उपरान्त विद्यालय के किसी भी भाग को किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाया जायेगा और न ही ऐसी कोई योजना अथवा कार्य किया जायेगा, जिससे विद्यालय का मूल स्वरूप प्रभावित हो और बच्चों के पठन-पाठन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। गोद लेने वाला ट्रस्ट, संस्था, व्यक्ति और मा० जनप्रतिनिधिगण विद्यालय भवन/परिसर का प्रयोग किसी भी दशा में अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं कर सकेंगे।

(7) भवन परिसर, शौचालय, कक्षा-कक्ष, बरामदा, चहार दीवारी, विद्युत वायरिंग, पंखा, लाइट डेस्क-बैंच, कुर्सी उपकरण खेल कूद का सामान, ब्लाक बोर्ड, डिजिटल लेब छात्र-छात्राओं हेतु तथा शिक्षकों हेतु फर्नीचर, अलमारी, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, पेयजल आदि की व्यवस्था एवं विद्यालय के जीर्णोद्धार की व्यवस्था नियमों के आलोक में संस्था द्वारा की जायेगी तथा उनकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसका स्वामित्व एवं प्रबंधन विद्यालय का होगा। स्कूलों साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी अथवा हेल्पर भी कोई प्रदान करना चाहता हैं तो इस शर्त के साथ उपलब्ध करा सकता है कि विद्यालय की व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी प्रकार अगर कोई स्मार्ट क्लास का निर्माण कराना चाहता है तो उसकी अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई प्राथमिक विद्यालय में स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क अध्ययन सम्बन्धी सेवायें देना चाहता है तो उसे अनुमति दिये जाने पर इस शर्त के साथ विचार किया जा सकता है कि विद्यालय के पठन-पाठन/व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्कूल में निर्धारित पाठ्य-पुस्तक एवं विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय यथा धार्मिक या राजनीतिक संवाद नहीं किया जायेगा।

(8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों का ही प्रस्ताव किया जायेगा, जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो (साक्ष्य के रूप में विद्यालय परिसर की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ रंगीन फोटो ग्राफ) और उनके द्वारा विस्तृत सुविचारित प्रस्ताव विद्यालय के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे विद्यालय जिसमें पंचायत अथवा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि लगायी गयी है और उसका विस्तृत रूप से जीर्णोद्धार हो गया है, का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं प्रेषित किया जायेगा, लेकिन पूर्ण विकसित स्कूल को कोई ट्रस्ट, संस्था, व्यक्ति और मा० जनप्रतिनिधिगण माडल स्कूल बनाने के उद्देश्य से गोद लेने चाहता है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(9) जीर्णोद्धार करने वाली संस्था द्वारा विद्यालय अथवा विद्यालय से सम्बन्धित शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा। निजी स्नोत/संस्था द्वारा मात्र विद्यालय के बच्चों को

एक स्वच्छ, पूर्ण और विकसित माहौल देने के उद्देश्य से ही यह व्यवस्था लागू की जानी है। विद्यालय का मूल स्वरूप किसी भी दशा में प्रभावित न हो और इन विद्यालयों का उपयोग पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।

(10) शिक्षा अधिकार अधिनियम का उलंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(11) किसी संस्था/ट्रस्ट/ मा० जनप्रतिनिधिगण या व्यक्ति द्वारा विद्यालय को गोद लेने की इच्छा पर विद्यालय को गोद लेने के औचित्य सहित लिखित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुरोध पैत्र प्रेषित किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण के पश्चात प्रकरण को जनपद स्तरीय समिति के समष्ट रखा जायेगा। जनपद स्तरीय समिति निम्नवत होगी:-

1- जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2- मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3- जिला खेल कूद अधिकारी	सदस्य
4- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय समिति के प्रस्ताव/ संस्तुति पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत होगा:-

1- महानिदेशक स्कूल शिक्षा	अध्यक्ष
2- शिक्षा निदेशक बेसिक	सदस्य
3- निदेशक एस०सी०ई०आर०टी०	सदस्य
4- अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
5- निदेशक एम०डी०एम० द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद	सदस्य
7- अपर शिक्षा निदेशक (शिविर), बेसिक शिक्षा निदेशलय लखनऊ	सदस्य
8- संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशलय लखनऊ सदस्य-	सचिव

राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गोद लेने वाले व्यक्ति के पक्ष में समुचित आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(12) विद्यालय को गोद लेने वाली संस्था/व्यक्ति या अन्य सम्बन्धित द्वारा यदि किसी प्रकार से शर्तों या नियमों का विचलन किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर गोद लेने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश के प्रत्याहरण की कार्यवाही कर सकते हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 8- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

अनु सचिव।